चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 18.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनाँक 18.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में श्रवण मास के दौरान शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों की विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में थाना मऊ पुलिस ने परानु बाबा मेले में हुयी चोरी की घटना का अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को चोरी के डेबिड डार्ड, ड्राइविन्ग लाइसेंस, ब्लैंक चैक व 190/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 17.08.2024 को श्री चिन्तामणि विश्वकर्मा पुत्र जगन्नाथ विश्वकर्मा निवासी छोटाजूही थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज द्वारा थाना मऊ में सूचना दी कि वह परानु बाबा मेले में दर्शन करने आये थे कि किसी अज्ञात चोर ने उनका पर्स चोरी कर लिया है। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 247/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा घटना के अनावरण हेतु उ0नि0 यूटी0 श्री दिव्यांश पाण्डेय को निर्देशित किया गया। उ0नि0यूटी0 श्री दिव्यांश पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 18.08.2024 को अभियुक्त दशरथ पुत्र कल्लू निवासी मैदाना थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से चोरी का एक डेविड़ कार्ड, बैंक चेक,ड्राइवि लाइन्सेंस, 05 अदद पासपोर्ट साइज फोटो व 190/- रुपये बरामद किये गये। चोरी का माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गया।

<u>बरामदगीः-</u>

1.डेबिड़ कार्ड
2.ब्लैंक चेक
3.ड्राईविन्ग लाइन्सेंस
4.चोरी के 190 रुपये

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 यूटी0 श्री दिव्यांश पाण्डेय थाना मऊ
2.मुख्य प्रवीण पाण्डेय
3.आरक्षी अभिषेक कुमार

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सरैंया श्री श्यामदेव सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त मनोज रैदास पुत्र बदलू रैदास निवासी शारदा नगर कौबरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानकिपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

10 लीटर कच्ची शराब

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.चौकी प्रभारी सरैंया श्री श्याम देव सिंह
2.आरक्षी राजमंगल
3.आरक्षी मनोज कुमार

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 06 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(क). उ0नि0 श्री इमरान खान थाना राजापुर तथा उनके हमराही आरक्षी संजय यादव द्वारा मु0नं0 1870/2017 धारा 147,323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त 1.मुट्टीलाल पुत्र शिवलाल 2.भैरम पुत्र बुद्धीलाल निवासी मलवारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ख).उ0नि0 श्री आशोक सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही आरक्षी विपिन कुमार द्वारा अ0सं0 343/2016 धारा 135 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त राज पुत्र सूरजभान निवासी सिद्धपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ग).उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय थाना रैपुरा तथा उ0नि0 श्री राजेश कुमार, आरक्षी राममूरत मिश्रा द्वारा एसटी नं0 120/2019 धारा 135(ए) विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त मान सिंह पटेल पुत्र देवनाथ पटेल निवासी दरियाव पुरवा बसिला थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट गिरफ्तार किया गया।

(घ).प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी तथा उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा,मुख्य आरक्षी ब्रजेन्द्र सिंह,आरक्षी अतुल मिश्रा, आरक्षी महेन्द्र कुमार द्वारा मु0नं0 3607/21 धारा 323,504,506 भादवि0 थाना राजापुर के वारण्टी अभियुक्त देवदत्त पुत्र दुखी निषाद निवासी ग्राम तीर धुमाई गंगू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट तथा अ0सं0 181/15 धारा 379,411 भादवि0 व 4/21 खनिज अधि0 व 03 लो0स0क्ष0 निवा0 अधि के वारण्टी अभियुक्त निर्भय यादव पुत्र कल्लू यादव निवासी औदहा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों की विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में थाना सरधुवा पुलिस ने ग्राम दरसेंडा स्थित किराना की दुकान में हुयी चोरी की घटना का खुलासा करते हुये 02 चोरों को चोरी के 5000/- रुपये व सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 12.08.2024 को वादी श्री पप्पू पुत्र रामप्रताप निवासी दरसेंडा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना सरधुवा में सूचना दी की अज्ञात चोरों ने उनकी किराना की दुकान का ताला तोड़कर 5000/- रुपये नगद व किराना का सामान चोरी कर लिया है। इस सूचना पर थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 130/2024 धारा 331(4),305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक सरधुवा द्वारा घटना के अनावरण हेतु उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा को निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये दिनाँक 17.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अजीत सिंह उर्फ बच्चू सिंह पुत्र रोहित सिंह व मुन्ना सिंह उर्फ प्रदीप सिंह पुत्र रामनरेश सिंह निवासीगण दरसेंडा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 5000/- रुपये नगद, 62 अदद गुटखा पाउच, 01 डिब्बी सिगरेट बरामद की गयी। चोरी का माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गया।

अभियुक्तों का विवरण:-

1.अजीत सिंह उर्फ बच्चू सिंह पुत्र रोहित सिंह निवासीगण दरसेंडा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट

2.मुन्ना सिंह उर्फ प्रदीप सिंह पुत्र रामनरेश सिंह निवासीगण दरसेंडा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट

बरामदगी:-

1.चोरी के 5000/- रुपये नगद

2.चोरी के 62 अदद गुटखा पाउच

3.चोरी के 01 डिब्बी सिगरेट

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1.उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा थाना सरधुवा

2.उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय

3.आरक्षी शक्ति सिंह

4.आरक्षी अतुल मिश्रा